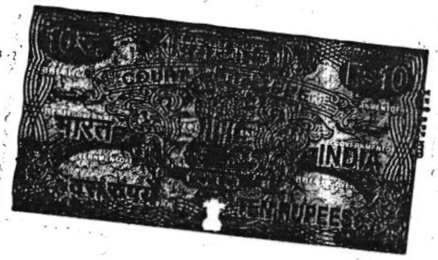

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2017/4726

1– राधेश्याम पुत्र श्यामसुन्दर यादव
2– रामसनेही पुत्र श्यामसुन्दर यादव
3– कौशल्या पत्नी रमेश यादव,
4– महेन्द्र पुत्र शम्भू यादव
निवासीगण – ग्राम जगतपुर, तहसील चन्दला, जिला छतरपुर म0प्र0

.—— आवेदकगण

विरूद्ध

1– मिडिया पुत्री चेहनू पाल
2– कुशुमा पुत्री चेहनू पाल
3– कला पुत्री चेहनू पाल
4– रमकूल पुत्री चेहनू पाल
5– राकेश पुत्र जागे पाल
6–सुहावन पुत्र जागे पाल
7– गिल्ला पुत्र जागे पाल
8– लक्ष्मी पुत्र चेहनू पाल
9– रावरानी वैवा चेहनू पाल
10– रामअवतार पुत्र चेहनू पाल
11– श्रीमती हल्की पत्नी रामअवतार पाल
निवासीगण – ग्राम चन्दला, तहसील चन्दला, जिला छतरपुर म0प्र0

—— अनावेदकगण

श्री ……… द्वारा आज दि. 28.11.17 को प्रस्तुत

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.10.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – एक/निग0/छतरपुर/भू.रा./2017/4726 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14/12/17	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्र0क0 21/अपील/2013–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14–10–17 के विरूद्ध पेश की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा उभयपक्षों को सुनने के उपरांत अनावेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार करते हुए अपील अंदर अवधि मान्य की जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । प्रशा0 सदस्य	